न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या 12/2009

उनवान

भंवरकंवर व अन्य वनाम जीवराज व अन्य

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 20.1.2020

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष वकिल उपस्थित । जिन्हे राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामांतकरण संख्या 454 जो सरपंच ग्राम पंचायत भावंता अजमेर द्वारा दिनांक 22.2.2002 को स्वीकृत किया गया पर सुना गया । अपीलान्ट अभिभाषक ने दौरान वहस मे निवेदन किया गया कि अपीलांटस के पिता श्री गुमान सिह पुत्र श्री छोटूसिंह की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम भांवता तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जो नामांतरकरण संख्या 454 के अनुसार खाता संख्या 75 कुल किता 6 कुल रकवा 6–04–10 बीघा, खाता संख्या 76 कुल किता 8 कुल रकवा 11–17–00 बीघा, खाता संख्या 77 कुल कित 5 कुल रकबा 14–10–00 बीघा, खाता संख्या 165 कुल किता 1 कुल रकबा 0–01–10 बीघा ग्राम भांवता में अवस्थित है जो अपीलांटस के पिता श्री गुमानसिह पुत्र श्री छोटू सिंह की खातेदारी भूमि है। गुमानसिह पुत्र छोटू की पत्नि भंवरकंवर जो फौत है । भंवरकंवर, अछनकंवर,लाडकंवर पुत्री है व जीवराज, विरेन्द्रसिंह पुत्र है। श्री गुमानसिह पुत्र छोटू सिह का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 454 विद्वान ग्राम पंचायत भांवता द्वारा दिनांक 22.2.2000 को मात्र रेस्पो संख्या 1 व 2 के नाम तस्दीक किया गया एवं अपीलांटस के नाम तस्दीक नही किया गया । जबकि अपीलांटस का भी अपने पिता श्री गुमानसिह की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के साथ बराबर हक, अधिकार व स्वत्व निहित है अर्थात प्रत्येक अपीलांटस रेस्पो0 के साथ कुल आराजीयात के 1/5 हिस्से की अधिकारिणी है। लेकिन विद्वान ग्राम पंचायत भांवता द्वारा न तो नामांतकरण पर दर्शित सजरे में अपीलांटस का नाम दर्शाया नि ही नामांतकरण तस्दीक किया । तबकि तीनों अपीलांटस श्री गुंमानसिंह का जायन्दा पुत्री होकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के साथ बराबर हिस्से की अधिकारिणी है। जो संलग्न सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 5.3.2009 जो विद्वान ग्राम पंचायत भांवता द्वारा जारी किया गया से भी सिद्व है। विद्वान ग्राम पंचायत भांवता द्वारा पारित अन्तर्गत नांमातरकरण संख्या 454 विरूद्व न्याय वं रिकार्ड होकर काबिज

Scanned by CamScanner

निरस्त योग्य है। विवादित भूमि अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के पिता श्री गुमानसिह की खातेदारी की होकर उनकी विरासत के आधार पर अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी तथा संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात है जिसमें अपीलांटस व रेस्पो. 1 लगायत 2 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है। उक्त हिस्सा अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को कभी भी रहन, बेचान व मुंतकिल, दान एवं हक त्याग नही किया गया था एवं न ही सक्षम न्यायालय के आदेश से ही अपीलाट्स के काश्तकारी स्वत्वों को नष्ट किया गया था जिससे स्पष्ट है कि विद्वान ग्राम पंचायत भावता द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 22.2.2000 के अनुसार अपीलांट्स के काश्तकारी स्वत्वों को गैरकानूनी रूप से नष्ट करते हुए आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलाट्स को अपने पिता श्री गुमान सिंह की विरसत के जरिये प्राप्त हुई है उक्त आराजीयात अपीलांट्स व रेस्पो संख्या 1 से 2 जो सभी श्री गुमानसिंह के वारिसान है की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजियात है जिसका आज दिनांक सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत न्यायिक बंटवारा नही हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट्स के पिता की खातेदारी की भूमि नामांतकरण पर गलत सजरा अंकित करते हुए मात्र रेस्पो संख्या 1 व 2 क`नाम दर्ज कर दी/ जबकि अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 समस्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन नामांतकरण संख्या 454 की आड में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 श्री गुमानसिह की आराजीयात में निहित अपने हिस्से से अधिक भूमि का रहन, बेचान व मुंतकिल एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। जकि त्रुटिपूर्ण नामांतकरण के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/5 हिस्से से अधिक काश्तकारी स्वत्व उक्त आराजीयात में प्राप्त नही हुए है । अतः अपीला अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान ग्राम पंचायत भांवता द्वारा पारित निर्णय अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 22.2.2000 निरस्त फरमाया जावे एवं श्री गुमान सिह की विरासत अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 सभी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे । वकिल अपीलान्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1999 पेज 183, आरआरडी 1996 पेज 79, 381, आरआरडी 1995 पेज 113, 2011 आरआरटी पार्ट 11 पेज 788, 2003 आरआरटी पार्ट 1 पेज 153 प्रस्तुत किए ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट एक नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट 2 के 1 व 2 के 5 की ओर से श्री शिवप्रसाद अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 2/2 से 2/4 की ओर से श्री महेन्द्र सिह चौहान अभिभाषक उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए उनके अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम

Scanned by CamScanner

भांवता में अवस्थित है जो अपीलांटस के पिता गुमानसिह पुत्र छोटू सिह की खातेदारी की भूमि है श्री गुमानसिह के वारिसान में तीनो अपीलांटस एवं रेस्पो संख्या 1 लगायत 2 है जिनमें से विरेन्द्र सिह का स्वर्गवास हो चुका है। नामान्तकरण संख्या 454 त्रुटिपूर्ण रूप से तस्दीक किया जाना स्वीकार है जिसमें गुमानसिंह की विरसत मात्र जीवराजसिंह व विरेन्द्रसिंह के नाम तस्दीक की गई थी जबकि उक्त दोनो पुत्रो के साथ तीनो अपीलांट का नाम भी विरासत में दर्ज किया जाना चाहिए था । अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर गुमानसिह के वारिसान को रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के साथ तीनो अपीलांट का नाम दर्ज किया जाकर जमाबंदी में दर्ज किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण सख्या 454 दिनांक 22.2.2000 के विरूद्व संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के पश्चात तथा धारा 6 (1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निर्धारित तिथि 20.12.2004 के पश्चात प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के हक अधिकार नामान्तकरण के तहत प्रस्तुत समरी कार्यवाही के माध्यम से निर्धारित किया जाना सम्भव नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलार्थी को हक अधिकार के निर्धारण हेतु नियमित वाद प्रस्तुत किये जाने की स्वत्रंता प्रदान की जाती है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2020.01.23 11:18:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: